<u>पंजीकृत पावर्त</u> उल्लंघन पत्र

1/18024/2023





भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines Mine Code: 38RAJ26005 माखुपुरा औद्यौगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area, अजमेर —305002(राजस्थान) Ajmer- 305002 (Rajasthan)

दिनांक: 06.10.2023

: संख्या: E/5581/MCDR-MiFLOLST/25/2023-AJM-IBM_RO_AJM

प्रेषित: खान एजेंट,दारोली चूना पत्थर खान नंबर 2, मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड,

> श्रीपत नगर,पोस्ट ऑफिस-सी एफ ए, डबोक के पास, तहसील-वल्लभ नगर, जिला- उदयपुर (राजस्थान) 313 021

Email: mines@ucwl.jkmail.com, krishanpal@ucwl.jkmail.com;

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Daroli Limestone Mine No.2** (Lease area 213.33 Hect., ML No. 23/01) situated in Udaipur District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 12.09.2023 by the undersigned in presence of Sh. K P Singh, Agent &

HOD(Mines):

Rule	Nature of violation observed in detail
No.	
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified
	Mining Plan (Approved on 23.10.2020):
	1) No propor care and maintainance of saplings planted in the year 2022-23 was observed. Further
	during the year 2022-23, total 450m fencing was proposed around plantation area but no such
	fencing observed during the inspection.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: -

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 4. रक्षित पत्रावली ।